



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ७, अंक ३१]

शुक्रवार, ऑक्टोबर १, २०२१/आश्विन ९, शके १९४३

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ३८

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 1st October 2021.

NOTIFICATION

No. BYE-2021/CR.553/21/XXXIII.— In pursuance of sections 150, 30 and 56 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the following is published for General Information :—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110 001,

Dated the 1st October 2021
9 Asvina, 1943 (Saka)*NOTIFICATION*

No. 100/MH-LA/2/2021.— WHEREAS, the seat of Antapurkar Raosaheb Jayvanta, in the Legislative Assembly of the State of Maharashtra, elected from 90—Deglur (SC) Assembly Constituency in the State, has become vacant on 9th April, 2021 by reason of his death ; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused.

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—

(A) calls upon the said 90—Deglur (SC) Assembly Constituency in the State of Maharashtra, to elect, before the 5th November 2021 (Friday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Schedule Castes of the State, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State ;

(B) appoints, with respect to the said election,—

(a) the 8th October 2021 (Friday), as the last date for making nominations ;

(b) the 11th October 2021 (Monday), as the date for the Scrutiny of nominations ;

(c) the 13th October 2021 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures ;

(d) the 30th October 2021 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ;

(e) the 5th November 2021 (Friday), as the date before which the election shall be completed ; and

(C) fixes the hours from 7-00 A.M. to 7-00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

S. K. DAS,
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

दिनांक 1 अक्टूबर 2021
9 अश्विन, 1943 (शक)

अधिसूचना

सं.0:100/महा.-वि.स./2/2021.— यतः महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा में उस राज्य की 90-देगलुर (अ. जा.) विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित अंतापूरकर रावसाहेब जयवंता का स्थान 09 अप्रैल, 2021 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण रिक्त हो गया है ; और

2. यतः, इस प्रकार उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के उद्देश्य से उप-निर्वाचन कराया जाना है ;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराओं 150, 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा—

(अ) महाराष्ट्र राज्य में उक्त 90-देगलुर (अ. जा.) विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वे 5 नवम्बर 2021 (शुक्रवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार राज्य की विधानसभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उस राज्य से सम्बन्ध रखनेवाली अनुसूचित जातियों के एक व्यक्ति निर्वाचित करें ;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में—

(क) नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तारीख 08 अक्टूबर 2021 (शुक्रवार)

(ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 11 अक्टूबर 2021 (सोमवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख 13 अक्टूबर 2021 (बुधवार)

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा 30 अक्टूबर 2021 (शनिवार)

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा 05 नवम्बर 2021 (शुक्रवार)

नियत करता है, और

(इ) 7-00 बजे पूर्वान्ह से 7-00 बजे अपरान्ह तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

एस. के. दास,
सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

A. N. VALVI,

Deputy Secretary and Joint Chief Electoral Officer,
Maharashtra State.

क्रमांक बीवायई-२०२१/प्र.क्र.५५३/२१/३३

सामान्य प्रशासन विभाग

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,

दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१

प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :—

- (१) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई,
- (२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद,
- (३) जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नांदेड,
- (४) उप जिल्हाधिकारी व उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी नांदेड,
- (५) निवडणूक निर्णय अधिकारी, ९०-देगलूर (अ.जा.) विधानसभा मतदारसंघ (जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत)
- (६) निवडनस्ती.

सं. ना. गरुडकर,

कक्ष अधिकारी.